न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
मैसर्स वण्डर सीमेन्ट बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2024/644
प्रकरण संख्या 193/2024

# न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

---

प्रकरण संख्या 193/2024
जीसीएमएस न0 2024/644

1. मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड जरिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता शैलेन्द्र सिंह शक्तावत
प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज०
...........विपक्षी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :– 1– अधिवक्ता प्रार्थी – प्रार्थी स्वंय
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

**:: निर्णय ::** दिनांक 23.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राथी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया ग्राम फलवा के हाल आरजी नम्बर 725 में से 22.06 बीघा भूमि मै0 वण्डर सीमेन्ट की लीज में कम्पनी के कब्जे में है। शेष रकबा स्वीकृत लीज नक्शा अनुसार कम्पनी के कब्जे में है। शेष रकबा चरागाह सरकारी भूमि का नक्शा उपलब्ध नहीं होकर गत भू प्रबन्ध में तरमीम नहीं हुआ था।

2. उक्त ई0न0 1197 में बटा नम्बर का अंकन तो किया है मगर नक्शा नहीं लगाया गया है। वक्त सेग्रीगेशन हमारे लीज क्षैत्र के आराजी नम्बर 1104/907 की तरमीम नक्शे में गलत कर दी गई है। उत्तर की तरफ आराजी नम्बर 1144/904 व 1129/903 से लगा हुआ 1104/907 लीज क्षैत्र का भाग था जो 907 में दर्ज कर दिया। आराजी नम्बर 907 को आराजी नम्बर 906 के पूर्व की दिशा से हटा दिया गया। आरजी नम्बर 907 को दक्षिण व पश्चिम में भी अधिक तरमीम कर दिया गया जो गलत होकर हमारे लीज क्षैत्र का भाग है। अतः हमारे आराजी नम्बर 1104/907 व आराजी नम्बर 907 की तरमीम सही कराने की कृपा करावे।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार हैः–

ग्राम फलवा की हाल आराजी नम्बर 1104/907 रकबा 6.65 हैक्टेयर के साबिक आराजी नम्बर 725 रकबा 35.16 बिघा है। आराजी नम्बर 725 साबिक में से रकबा 22.06 बीघा नामान्तरण [illegible] वादी कम्पनी की लीज [illegible] है। नामान्तरण संख्या 1197 के [illegible] नम्बर 1104/907 का नक्शा [illegible]स्पा नहीं है अवार्ड [illegible] नहीं किया है। आराजी नम्बर 725 साबिक का उक्त [illegible] बीघा चरागाह मे ही दर्ज रहा जिसका भी नक्शा [illegible] उपलब्ध नहीं होकर हाल [illegible] नम्बर 907 रकबा 2.40 हैक्टेयर पर दर्ज हु[illegible] है। हाल आराजी नम्बर 11[illegible] व 907 की नक्शा में तरमीम वक्त सेग्रीगेशन के बाद भू–प्रबन्ध की गई और [illegible] नम्बर 1104/907 की तरमीम मौका अनुसार आराजी नम्बर 907 के पश्चिम हिस्सा में बढाते हुए आराजी नम्बर 907 की तरमीम आराजी नम्बर 1104/907 में आराजी

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:08:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नम्बर 906 के पूर्व में दर्ज होना सही बताते हुए आवंटन के समय इसी अनुसार रेकार्ड में होना बताया। मौके पर आराजी नम्बर 907 के पश्चिमी उत्तरी भाग पर कम्पनी का कब्जा है। कम्पनी प्रतिनिधियों द्वारा मौका पर आराजी नम्बर 1104/907 (गत आराजी नम्बर 725 में से 26.06 बिघा) के आवंटन के समय कार्यवाही में पेश किये गये नक्शा की फोटो प्रति पेश की गई जो फोटो प्रति होकर अस्पष्ठ है मगर हाल आराजी नम्बर 907 का पश्चिमी उत्तरी हिस्सा लीज में आवंटन आवंटन रकबा 26.06 बीघा में होना जाहिर आता है तथा हाल आराजी नम्बर 906(साविक आराजी नम्बर 725/1) के पूर्व दिशा आराजी नम्बर 907 का रकबा होना जाहिर आता है। आराजी नम्बर 1104/907 व आराजी नम्बर 907 दोनो की साविक आराजी नम्बर 725 एक ही होकर एक जैसी स्थिति में है। वादी कम्पनी द्वारा उपलब्ध नक्शा प्रति व मौका कब्जा अनुसार तरमीम का प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर रेकार्ड व मौके कब्जा अनुसार तरमीम का प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर रेकार्ड व मौका की रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

3. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया।

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

एवं

<u>धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण</u> <u>**(Maintenance)**</u> – सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार नि[illegible] के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं [illegible] परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा [illegible] या फील्ड बुक में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:08:52 IST
Reason: SelfAttested

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–195[illegible] की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है गत मौके पर आराजी नम्बर 907 के पश्चिमी उत्तरी भाग पर कम्पनी का कब्जा है। कम्पनी प्रतिनिधियों द्वारा मौका पर आराजी नम्बर 1104/907 (गत आराजी नम्बर 725 में से 26.06 बिघा) के लीज में आवंटन के समय कार्यवाही में पेश किये गये नक्शा की फोटो प्रति पेश की गई जो फोटो प्रति होकर अस्पष्ठ है मगर हाल आराजी नम्बर 907 का पश्चिमी उत्तरी हिस्सा आवंटन रकबा 26.06 बीघा में होना जाहिर आता है तथा हाल आराजी नम्बर 906(साबिक आराजी नम्बर 725/1) के पूर्व दिशा आराजी नम्बर 907 का रकबा होना जाहिर आता है। आराजी नम्बर 1104/907 व आराजी नम्बर 907 दोनो की साबिक आराजी नम्बर 725 एक ही होकर एक जैसी स्थिति में है। वादी कम्पनी द्वारा उपलब्ध नक्शा प्रति व मौका कब्जा अनुसार प्रस्तावित नक्शा तरमीम अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होत है।

## आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम फलवा की आराजी नम्बर 1104/907 रकबा 6.65 हैक्टयर भूमि व आराजी नम्बर 907 रकबा 2.40 हैक्टेयर की तरमीम तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:08:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner